T o India (18/4/19)

GENERAL ELECTION TO LOK SABHA 2019 - NCT OF DELHI

PUBLIC NOTICE

It is notified for information of the General Public that as per the provisions of Section 135-B of the Representation of the People Act, 1951, every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment in National Capital Territory of Delhi and entitled to vote and residing in Bijnor, Amroha, Hapur, Bulandshahar, Aligarh, Hathras, Mathura, Agra and Etah districts of Uttar Pradesh shall be granted a holiday on the day of poll i.e. 18th April, 2019 so that he/she can cast his/her vote during General Election to the Lok Sabha, 2019.

No deduction or abatement of the wages shall be made on account of above holiday and if any person is employed on the basis that he/ she would not ordinarily receive wages for such a day, he/ she nonetheless be paid wages as he/ she would have drawn had not a holiday been granted to him/ her on that day.

Any contravention of the above provisions is punishable as per the provisions of Section 135-B (3) of the Representation of the People Act, 1951.

Sd/-

(RAJESH KUMAR)

Special Chief Electoral Officer, Delhi

For Voting, Your name in the Electoral Roll is mandatory

NO VOTER TO BE LEFT BEHIND

भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING
KASHMERE GATE, DELHI-110006

Helpline No. 1800-111-400 and 1950: www.ceodelhi.gov.in

DIP/Shabdarth/0015/19-20

लोक सभा आम चुनाव 2019
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

NBT 18/4/19

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में किसी व्यापार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत तथा मतदान के पात्र उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा तथा एटा जिलों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लोक सभा आम चुनाव, 2019 में अपना वोट डालने के लिए मतदान की तारीख अर्थात 18 अप्रैल, 2019 को एक दिन का अवकाश प्रदान किया जाएगा

उक्त अवकाश के कारण कोई भी वेतन काटा या रोका नहीं जाएगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे आधार पर नियुक्त है कि उसे ऐसे दिन के लिए सामान्यतः कोई वेतन प्राप्त नहीं होगा तब भी उसे ऐसा ही वेतन प्राप्त होगा जैसे उस दिन उसे कोई अवकाश नहीं दिया गया था।

उपर्युक्त उपबंधों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (3) के उपबंधों के अनुसार दंडनीय है।

ह./-
(राजेश कुमार)
विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

मतदान के लिए, आपका नाम निर्वाचक नामावली में होना अनिवार्य है।

कोई मतदाता न छूटे

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
हेल्पलाइन नं. 1800-111-400 और 1950: वेबसाइट: www.ceodelhi.gov.in

DIP/Shabdarth/0015/19-20